# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 74 / 2017 निर्णय दिनांक :–24.09.19

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. हीरा पुत्र मांग्या जाति मीणा उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
2. केसरा पुत्र मांग्या जाति मीणा उम्र 80 वर्ष निवासी ग्राम गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
3. रामनाथ पुत्र मांग्या जाति मीणा उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
4. शंकर पुत्र श्रीलाल जाति मीणा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
5. सीताराम पुत्र जुवारा जाति मीणा उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
6. औंकार पुत्र जुवारा जाति मीणा उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
7. रामस्वरूप पुत्र जुवारा जाति मीणा उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान
8. कमला पुत्री जुवारा जाति मीणा उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान

–वादीगण –

**बनाम**

1. विनोद दतक पुत्र माधो जाति मीणा नाबालिग जरिये संरक्षक पिता रामनिवास पुत्र श्योजी मीणा आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम गुलाबपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान

**–अप्रार्थीगण–**

**–उपस्थिति –**

**श्री बंशीलाल कलवार**
**अधिवक्ता वादीगण**

**श्री अजीत सिंह**
**अधिवक्ता प्रतिवादी**

## प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि ख. नं. 172 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 173 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 172 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 173 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 172 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 174 रकबा 0.10 है0, ख. नं. 175 रकबा 0.09 है0, ख. नं. 178 रकबा 0.17 है0, ख. नं. 179 रकबा 0.42 है0, भूमि वाके ग्राम गुलाबपरा, तहसील दूनी में स्थित भूमि में फसल की सुरक्षा हेतु कई रूपये खर्च करके तिट्टी का डोल लगा रखा है, उक्त आराजीयात भूमि से प्रतिपक्षी का कोई संबंध नहीं है। प्रतिपक्षी उक्त आराजीयात भूमि में प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में अकारण मजामहत कर अवैध रूप से रास्ता निकालने पर आमादा है, जिसका उसे कोई

अधिकार नहीं है। प्रतिपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद फरमाया जावे कि वे उक्त खसरा नम्बरान में स्थित भूमि में लगे हुए डोल को नहीं तौड़े तथा अवैध रूप से रास्ता नहीं निकाल तथा प्रार्थीगण की फसल को नष्ट नहीं करे। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजयात भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई मजामहत स्वयं व जरिये नौकर चाकर के नहीं करे और मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत सिंह ने वकालतनामा व जवाब पेश किया । अप्रार्थी संख्या ने जवाब में प्रार्थना पत्र के मुख्य चरणो को गलत बताते हुए अस्वीकार किया है ओर बताया है कि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण ने उक्त आराजी में किसी प्रकार की कोई डोल नहीं है एवं प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में से अप्रार्थी ख. नं. 172, 173, 174, 175, 178 एवं 179 में आता जाता रहा है और अप्राथी ने प्रार्थीगण के विरूद्ध श्रीमान जी के यहॉ पर रास्ते बाबत् एक वाद पेश कर रखा है जिसको लेकर प्रार्थीगण ने मनगढन्त तथ्यो के आधार पर यह झूठा दावा अप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया है। अप्रार्थी के पास इन ख. नम्बरान के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अगर इन रास्तों से अप्रार्थी को उक्त खसरा नम्बरान में से आने–जाने से रोका गया तो अप्रार्थी को काफी नुकसान होगा। अप्रार्थी जमीन में फसल बोने से वंचित हो जावेगा जिससे अप्रार्थी को आर्थिक क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थी को आने–जाने से नहीं रोका जा सकता है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की अधियाचना प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथा अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी द्वारा पेश एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में धारा 251 क के अन्तर्गत विचाराधीन है जिसमे उक्त खसरा नम्बरो में से एक खसरा नम्बर पर से रास्ता चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से रास्ता निकालने की कार्यवाही पर रोक लगाना चाहता है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2073–76 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थीगण ख. नं. 172 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 173 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 172 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 173 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 172 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 174 रकबा 0.10 है0, ख. नं. 175 रकबा 0.09 है0, ख. नं. 178 रकबा 0.17 है0, ख. नं. 179 रकबा 0.42 है0, भूमि वाके ग्राम गुलाबपरा, तहसील दूनी में स्थित भूमि के खातेदार है जिसका अप्रार्थी से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक उक्त भूमि में किसी प्रकार की बाधा व मजामहत का प्रश्न है वो नियमित वाद में साक्ष्य व सबूत से तय हो सकेगा। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क का निर्णय न्यायालय में अलग से हो सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 24.09.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली